न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–232/2015 एवं 274 /2016

1. रामप्रसाद दत्तक पुत्र स्व. श्री बजरंगा

2. सीताराम पुत्र रामचन्द

3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण

4. रामकरण पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण

5–रामावतार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण

6. मु0 घीसी बेवा स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण

7. बद्रीनारायण पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति जाट निवासी–ग्राम कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्रीमती जमना देवी धर्मपत्नी श्री जगदीशनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम कोथून, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/वादिया

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–प्रारूपिक रेस्पोडेंट–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त सोगानी अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री शिव सिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05 –01–2018

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 223,न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09–12–2014 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29–09–2015 वाद सख्या 17/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट सख्या–1 ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा न0 1542 लगायत 1545,1551 लगायत 1554 कुल किता 8 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। भूमि वादग्रस्त में 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सख्या–1 के नाम व 1/10 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 4 व 5 के नाम 1/20 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सख्या–6 के नाम तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी बजरंगा पुत्र श्री भूरा के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के खातेदार बजरंगा पुत्र श्री भूरा का स्वर्गवास हो गया है। स्व0 श्री बजरंगा पुत्र भूरा की वारिस मु0 गल्लखू

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पत्नी बजरंगा, सीता देवी, गीता देवी, प्रियंका, गडूली व झमरी पुत्रीयॉ बजरंगा विधिक वारिसान है बजरंगा के फौत होने के पश्चात् उसके विरासत का नामान्तकरण उक्त विधिक वारिसान के नाम भरा गया। बजरंगा की पुत्रीयॉ मु0 गडूली व झमरी ने अपने 1/12 हिस्से की भूमि का हकत्याग प्रतिवादी संख्या–2 लगायत 5 के हक में कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या–430 दिनांक 12.09.2007 के भरा जाकर तस्दीक किया गया। शेष वारिसान गल्लखू पत्नी बजरंगा मु0 सीता देवी, गीता देवी, प्रियंका पुत्रिया बजरंगा ने अपने 4/6 दर हिस्सा 1/4 का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र वादिनी हाल रेस्पोडेन्ट को 1 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या–445 दिनांक 26.11.2007 को तस्दीक किया गया इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादनी 4/6 दर हिस्सा 1/4 की काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के पूर्व खातेदार व हक अधिकारी बजरंगा पुत्र भूरा तथा प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 6 ने वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है। तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के बाहमी बंटवारे में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1554 के दक्षिण पश्चिम दिशा की 0.13 है0 भूमि पर बजरंगा पुत्र भूरा का कब्जा काश्त था तथा खसरा नं. 1542 रकबा 0.07 है0 प्रतिवादी संख्या–1 को बंटवारे में दी गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 सीताराम ने अन्य व्यक्तियों के सहयोग से एक गैर मुमकिन चाह का निर्माण करवा लिया शेष वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 6 को हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में वादीनी की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1554 के दक्षिणी–पश्चिमी हिस्से में कडबी पडी हुई है। वादीनी ने वादग्रस्त आराजी को क्रय करने के पश्चात् फसल की सुरक्षा के लिये पुख्ता बाउण्डरीवाल बना रखी है, तथा प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 6 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीनी भूमि वादग्रस्त की रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार विभाजन का वाद वादीनी द्वारा सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उभयपक्षों की सुनवाई पश्चात् वादीनी का वाद दिनांक 09.12.2014 को प्राथमिक रूप से एवं उसके पश्चात् दिनांक 29.09.2015 को अंतिम रूप से डिक्री फरमा दिया जिससे पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उक्त दोनो अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 की गई रेस्पोडेन्ट/वादिया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायायल कि पत्रावली तलब होने पर बहस उयभयपक्ष सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2015 को No Instruction प्लीड किये जाने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुये अंतिम निर्णय पारित कर दिया। जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट को अपीलाधीन अंतिम आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.05.2016 को हुई तत्पश्चात् अपीलार्थी ने समस्त नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है इस प्रकार जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जावे। तत्पश्चात् अपनी बहस में अपील मीमो के मुख्य बिन्दुओ को दौहराते हुये कथन किया की योग्य अधिनस्थ न्यायायल ने विवाद के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

बहस में कथन किया कि बजरंगा ने रामप्रसाद को गोद लिया था उसका भी नाम वादग्रस्त भूमि में वारिसान के रूप में दर्ज होना चाहिए था । वादीनी को कब्जा नहीं दिया गया था । रामप्रसाद का भूमि पर कब्जा काश्त है रामप्रसाद द्वारा घोषणा का वाद भी दायर कर दिया गया था जिसमें वाद बिन्दु भी कायम हो गये थे। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में संयुक्त खातेदारों के हिस्से संबंधी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2015 को No Instruction कर दिया गया था। उसके पश्चात् भी सुयोग्य न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित फरमा दिया । अंतिम निर्णय व डिक्री में सिर्फ वादीनी के हिस्से का विभाजन किया गया शेष खातेदार काश्तकारों का हिस्सा संयुक्त रूप से यथावत रख दिया गया। अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का समूचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट रामप्रसाद संयुक्त खातेदारी में हिस्सेदार है साथ ही दत्तक पुत्र भी था इसलिए वादग्रस्त भूमि में रामप्रसाद का हित निहित है। No Instruction के पश्चात् विचारण न्यायालय को नोटिस जारी कर सूचित करना चाहिए था। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है। राजस्व न्यायालय भी अनुषांगिक इश्यू के रूप में दत्तक को निस्तारित कर सकता है। कब्जे के संबंध में भी विचारण न्यायालय को निर्णय करना चाहिए था। इस प्रकार विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने बहस का जवाब देते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण का भूमि वादग्रस्त से कोई सरोकार नहीं है। खातेदार बजरंगा के मृत्यु के पश्चात् उसके छः विधिक वारिसान है जो गल्लखू पत्नी बजरंगा, सीता देवी, गीता देवी, प्रियंका, गडूली व झमरी पुत्रियॉ बजरंगा है।वादिया को मु0 गडूली व झमरी के अतिरिक्त शेष सभी वारिसान ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये रजि0 विक्रय पत्र कर दिया है जिसका नामान्तकरण भी तस्दीक होकर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि वादग्रस्त वादिया के नाम से दर्ज कर दी गई। इस प्रकार वादिया को विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार हो गया है। अपीलान्ट का यह कथन कि भूमि वादग्रस्त पर वादिया का कब्जा नहीं था यह विरूद्ध रिकॉर्ड कथन है। अपीलार्थीगण द्वारा वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसे अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या–4 द्वारा दिनांक 27.01.2014 को खारिज कर दिया गया। विचारण अधिनस्थ न्यायालय में वादिया का वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का था। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों के मध्य नजर विवाद्यक कायम कर विधिवत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विवाद्यक संख्या–3 को सिद्ध करने का भार अपीलान्ट/प्रतिवादी पर रखा गया था, जो अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं किया गया । अपीलान्ट ने कोई दत्तक ग्रहण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या–3 इसी आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध तय की गई है। रिलीज डीड संयुक्त काश्तकारी में एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1987 एस.सी. 1775, 2014 (1) आर.आर.टी 509 प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट रामप्रसाद का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। राजस्व न्यायालय को adoption के प्रश्न को निर्णय करने का अधिकार नहीं है। प्रारम्भीक डिक्री में हिस्से को अलग से

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

परिभाषित करने की आावश्यकता नहीं है। क्योंकि जमाबंदी में पूर्व से ही हिस्सा दर्ज है। विचारण न्याालय द्वारापारित प्राथमिक डिक्री में कोई वैधाानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।अंतिम डिक्री के लिये जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें जमा देवी व आई0 एल0 आर के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन करने के बाद प्रतिवादी को सूचित करने की जिम्मेदारी न्यायालय की नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय पूर्णतया वैधानिक हैं ।अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगैर अवलोन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोडेन्ट/वादीनी द्वारा अधिनस्थ न्यायलाय में दायर किया गया वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–12–2014 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। उक्त प्राथमिक डिक्री जारी करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियों का निर्माण कर तथा उनपर साक्ष्य सबूत लिये जाकर विस्तृत विवेचना उपरान्त उक्त डिक्री पारित की गई है। जमबांदी में संयुक्त खातेदारें के हिस्से निर्धारित है अतः डिक्री में अलग से हिस्सा अंकित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। प्राथमिक डिक्री वादग्रस्त आराजीयात के मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आशय की पारित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रृटि कारित होना नहीं पाया जाता है। अतःअपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9–12–2014 स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।जहॉ तक अंतिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण संयुक्त कृषि जोत का विधिवत विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश पारित किये गये है। तहसीलदार चाकसू की कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नहीं हैं। तहसीलदार के लिए यह आवश्यक था कि वे प्रत्येक सहकृषक हिस्से अनुसार संयुक्त कृषि जोत का अंतिम विभाजन किये जाने हेतु विस्तृत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी, लेकिन तहसीलदार चाकसू ने मात्र वादिया का ही हिस्सा पृथक किये जाने के उद्धेश्य से ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जिसके आधार पर ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा तैयार की गई कुर्रेजात रिपोर्ट आर0 टी0 ए0 (बोर्ड आफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में नहीं की गई है। प्रतिादीगण के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिये जाने के पश्चात विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं है। इस प्रकार विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किये जाने में विधिक त्रृटि कारित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29–09–2015 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09–12–2014 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा निर्णय दिनांक 09–12–2014 यथावत रखा जाता है।अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29–09–2015 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–09–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तथा उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05 –01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर